

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 961 / 11

संस्थित दि.: 12 / 12 / 11

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. मनोज पिता अमरसिंह, उम्र 27 साल, जाति पनका,
साकिन पोंगारझोड़ी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. देवेन्द्र पिता रामाजी पटले, उम्र 50 साल, जाति पवार,
साकिन ठेमा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक 24 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी मनोज पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 का आरोप है कि आरोपी मनोज ने दिनांक 28.10.2011 को दोपहर के 01:30 बजे पोंगारझोड़ी परसवाड़ा लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं पेड़ में टक्कर मारकर अतुल टांडिया को उपहति कारित की। आरोपी मनोज ने वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुए पाया गया एवं आरोपी देवेन्द्र पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180, 146 / 196, 39 / 192 का आरोप है कि आरोपी देवेन्द्र पटले ने यह जानते हुए कि वाहन चालक मनोज के पास उक्त वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मनीष ने दिनांक 28.10.2011 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 28.10.2011 को 01:00 बजे उसके घर पोंगारझोड़ी का मनोज, खूबचन्द्र आये और उसके लड़के को मोटरसायकिल परा बिठाकर पोंगारझोड़ी घुमने ले जा रहे थे।

रास्ते में मनोज ने गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पेड़ में टक्कर मार दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी मनोज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59/11 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने एवं उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के चलाने से वाहन मालिक आरोपी देवेन्द्र पटले को भी प्रकरण में आरोपी बनाकर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192, 5/180 के तहत यह अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी मनोज को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 तथा आरोपी देवेन्द्र पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी मनोज एवं आहत अतुल टांडिया के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी मनोज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 (अतुल टांडिया को उपहति कारित करने) के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी मनोज पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं आरोपी देवेन्द्र पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 के आरोप का विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी मनोज ने दिनांक 28.10.2011 को दोपहर के 01:30 बजे पोंगारझोड़ी परसवाड़ा लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- (2) क्या आरोपी मनोज इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी. 04,डी.जी.3269 को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुए पाया गया ?
- (3) क्या आरोपी देवेन्द्र पटले ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04,डी.जी.3269 को यह जानते हुए कि वाहन चालक मनोज के पास उक्त वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया ?
- (4) क्या आरोपी देवेन्द्र पटले ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04,डी.जी.3269 को बिना वैध बीमा के चलवाया ?
- (5) क्या आरोपी देवेन्द्र पटले ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04,डी.जी.3269 को बिना रजिस्ट्रेशन करवाये चलवाया ?

— :: सकारण निष्कर्ष :: —

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 :-

- (07) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3, 4 एवं 5 का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (08) अभियोजन साक्षी मनीष (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी है आरोपी मनोज उसके घर आया था और उसके लड़के को मोटरसायकिल पर बिठाकर ले गया था रास्ते में उसका लड़का मोटरसायकिल से गिर गया था, जिससे उसे चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने

आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को तेजी एवं लापरवाही से मोटरसायकिल चलाकर पेड़ से टकरा कर अतुल को उपहति कारित की इस बात से इंकार किया है।

(09) अभियोजन साक्षी खूबचंद (अ.सा.02), दिनेश (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी हैं आरोपी मनोज के साथ वह तथा उसका भांजा अतुल ठेमा से मोटरसायकिल से वापस गांव आ रहे थे रास्ते में भैस आ गयी, जिससे मोटरसायकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन आंशिक मात्र भी नहीं किया है।

(10) अभियोजन साक्षी अतुल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के समय वह उसके मामा के घर आरोपी के साथ जा रहा था। सामने से भैस आ गई और गाड़ी गिर गई थी।

(11) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नेहरू (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 29.10.2011 को फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी मनोज से मोटरसायकिल सी.जी.04, डी.जी.3269 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 06 बनाया था। विवेचना के दौरान फरियादी मनीष साक्षी खूबचंद, देवेन्द्र, दिनेश, मनोज अतुल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपीगण निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी कार्यवाही की है। आरोपी मनोज ने दिनांक 28.10.2011 को दोपहर के 01:30 बजे पोंगारझोड़ी परसवाड़ा लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं पेड़ में टक्कर मारकर अतुल टांडिया को उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुए पाया गया एवं आरोपी देवेन्द्र पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 का आरोप है कि आरोपी देवेन्द्र पटले ने यह जानते हुए कि वाहन चालक मनोज के पास उक्त वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलवाया ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णता: असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण

को दिया जाये।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नेहरू (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 29.10.2011 को फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी मनोज से मोटरसायकिल सी.जी.04, डी.जी.3269 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 06 बनाया था। विवेचना के दौरान फरियादी मनीष साक्षी खूबचंद, देवेन्द्र, दिनेश, मनोज अतुल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे किन्तु अभियोजन साक्षी मनीष (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी है आरोपी मनोज उसके घर आया था और उसके लड़के को मोटरसायकिल पर बिठाकर ले गया था रास्ते में उसका लड़का मोटरसायकिल से गिर गया था, जिससे उसे चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को तेजी एवं लापरवाही से मोटरसायकिल चलाकर पेड़ से टकरा कर अतुल को उपहति कारित की इस बात से इंकार किया है।

(15) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी खूबचंद (अ.सा.02) एवं दिनेश (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी हैं आरोपी मनोज के साथ वह तथा उसका भांजा अतुल टेमा से मोटरसायकिल से वापस गांव आ रहे थे रास्ते में भैस आ गयी, जिससे मोटरसायकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन आंशिक मात्र भी नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी अतुल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के समय वह उसके मामा के घर आरोपी के साथ जा रहा था। सामने से भैस आ गई और गाड़ी गिर गई थी।

(16) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी मनोज ने दिनांक 28.10.2011 को दोपहर के 01:30 बजे पोंगारझोड़ी परसवाड़ा लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं पेड़ में टक्कर मारकर अतुल टांडिया को उपहति कारित की एवं आरोपी उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुए

पाया गया ऐसे तथ्यों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में सर्वथा अभाव है एवं आरोपी देवेन्द्र पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 का आरोप है कि आरोपी देवेन्द्र पटले ने यह जानते हुए कि वाहन चालक मनोज के पास उक्त वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलवाया। ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी खूबचंद्र एवं दिनेश को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(17) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी मनोज ने दिनांक 28.10.2011 को दोपहर के 01:30 बजे पोंगारझोड़ी परसवाड़ा लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं पेड़ में टक्कर मारकर अतुल टांडिया को उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुए पाया गया एवं आरोपी देवेन्द्र पटले पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 का आरोप है कि आरोपी देवेन्द्र पटले ने यह जानते हुए कि वाहन चालक मनोज के पास उक्त वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया व उक्त वाहन को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

(18) परिणाम स्वरूप आरोपी मनोज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 तथा आरोपी देवेन्द्र पटले को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(19) प्रकरण में आरोपी मनोज एवं देवेन्द्र पटले पूर्व से जमानत पर हैं, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(20) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बजाज मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.04, डी.जी.3269 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार

सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)